प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 23.07.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत मिरचहिया से कालर द्वारा अज्ञात वाहन द्वारा बाइक में टक्कर होने से घायल 03 व्यक्तियों (1.गणेश कुमार पुत्र प्रवीण 2.प्रवीण पुत्र अज्ञात 3.कृष्णा गौंड़ पुत्र शिवबचन गौंड़ निवासीगण ग्राम औरही थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के दुर्घटना में घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आरक्षी अंजेश चौहान, हो0चा0 प्रमोद उपाध्याय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 107 वाहनों से 92,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 107 वाहनों से 92,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 450/2025 धारा 137(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता घनश्याम यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी भीटी रावत थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को आज दिनाँक 23.07.2025 को कबीर चौरा, मगहर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 27.05.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की नाबालिग पुत्री अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 23.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, का0 रमेश यादव, का0 अरमान खान ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 23.07.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 323/2021 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त बाबूलाल पुत्र जियाउ सा0 कोनी गायघाट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 23.07.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे(एसडी)एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 349/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त ब्रजेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व0 शिवपूजन गुप्ता सा0 साड़ेकला थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 50रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 23.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 1325/2007 धारा 11क/2 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामभुलावन यादव पुत्र पलकधारी यादव सा0 जोगिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 11क/2 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायालय उठने तक का कारावास व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह के साधारण कारावास कादण्ड भुगतना होगा ।